क्रम संख्या–04 (क–1)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 10 जनवरी, 2011 ई0
पौष 20, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8

संख्या 66/2011/23(120)/XXVII(8)/2010
देहरादून, 10 जनवरी, 2011

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में कतिपय शर्तों के साथ निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

संशोधन

अनुसूची–I में क्रमांक 73 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात–

"74. जलौनी लकड़ी, शवदाह गृहों के प्रयोगार्थ।"

शर्त

शवदाह गृहों को संचालित करने वाली संस्था अपने क्षेत्राधिकार के वाणिज्य कर अधिकारी के समक्ष जलौनी लकड़ी की वार्षिक आवश्यकता का आवेदन करेगी और सम्बन्धित वाणिज्य कर अधिकारी इस आवेदन का परीक्षण कर प्रतिवर्ष उपयोग होने वाली जलौनी लकड़ी की मात्रा को बिना मूल्य वर्धित कर दिये हुए उत्तरांचल वन विकास निगम से खरीदने के लिये वांछित प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। वाणिज्य कर विभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) समय–समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सुविधा का दुरूपयोग न होने पाये।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 वित्त/34–2011–100+250 (कम्प्यूटर/रीजियो)।